राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष: 0522–2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स : 0522–2720056

पत्रांक: विप0–1/446(2)/यूजर चार्जेज/2021– 1407 दिनांक: 17-09- 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–17(3)(ग) में किये गये संशोधन एवं शासनादेश संख्या–482/80–1–2020 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुक्रम में परिषद/समिति द्वारा अनुरक्षित/सेवा प्रदान करने वाले स्थलों पर केता/विकेता व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत ऐसे परिसरों में उपभोग की जाने वाली सुविधाओं जैसे–नीलामी चबूतरा, प्रकाश, पेयजल, जनसुविधाओं आदि के उपयोग के एवज में व्यापार मूल्य के सापेक्ष एक प्रतिशत यूजर चार्जेज/प्रयोक्ता प्रभार संबंधित मण्डी समिति को देय होगा, संबंधी परिषद आदेश संख्या–विप0–1/446(2)/यूजर चार्जेज/2020–801 दिनांक 01 जून, 2020 निर्गत किया गया है।

मा0 संचालक मण्डल की 159वीं बैठक दिनांक 12.02.2021 में पारित निर्णय के कम में मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 2(क) की अनुसूची में उल्लिखित 45 गैर अधिसूचित किये गये कृषि उत्पाद के अतिरिक्त अन्य 46 कृषि उत्पादों यथा–अन्न, द्वि–दलीय उत्पाद, तिलहन, रेशे, स्वापक, मसाले, उद्यान कर्म, फल एवं द्राक्षा कृषि उत्पाद आदि पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा पारित निर्णय के कम में शासनादेश संख्या–संख्या–1/98448/2021 दिनांक 17 सितम्बर, 2021 द्वारा यूजर चार्ज/प्रयोक्ता प्रभार वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं शासनादेश संख्या–1/98448/2021 दिनांक 17 सितम्बर, 2021 द्वारा लिए गये निर्णयानुकम में दिनांक 01 जून, 2020 को यूजर चार्जेज/प्रयोक्ता प्रभार के संबंध में जारी 45 फल–सब्जियों के गैर निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के साथ–साथ मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 2(क) की अनुसूची में उल्लिखित अन्य 46 कृषि उत्पादों यथा–अन्न, द्वि–दलीय उत्पाद, तिलहन, रेशे, स्वापक, मसाले, उद्यान कर्म, फल एवं द्राक्षा–कृषि उत्पादों को मण्डी परिसर में लाकर मण्डी समिति के संसाधनों का उपभोग किये जाने की स्थिति में यूजर चार्जेज/प्रयोक्ता प्रभार के रूप में 1% (एक प्रतिशत) मण्डी समिति को देय होगा। मण्डी समितियों द्वारा प्रयोक्ता प्रभार के संग्रह एवं अभिलेखीकरण के संबंध में परिषद आदेश संख्या–विप0–1/446(2)/यूजर चार्जेज/2020–801 दिनांक 01 जून, 2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।

तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनॉक समांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
6. समस्त उपनिदेशक (प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सभापति/सचिव, मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
9. गार्ड फाईल हेतु।

17/09/21

निदेशक

website

48/2021

प्रेषक ,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मंडी परिषद,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक17सितम्बर 2021

विषय- 45 फल सब्जियों के गैर अधिसूचित उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों (जिनका उल्लेख मंडी अधिनियम, 1964 की धारा-2(क) की अनुसूची में किया गया है) पर लगने वाले यूजर चार्ज लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र स०-विप०-1/446(2)/यूजर चार्जेज/2021-1331 दिनांक 29.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

AD(A)

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 में संशोधन विषयक अधिसूचना स०-654/79-वि०-1-20-2(क)10/2020 दिनांक 11.05.2020 के प्राविधानों के अंतर्गत शासनादेश स०-482/80-1-2020 दिनांक 12.05.2020 द्वारा 45 जिंसों के मंडी परिसरों में व्यापार होने की दशा में, ऐसे जिंसों के व्यापार पर सम्बंधित क्रेता/व्यापारी, उनके व्यापार मूल्य पर 2 प्रतिशत तक का भुगतान प्रयोक्ता प्रभार के रूप में वसूल किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

17-09-21

3- अतः आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.06.2021 में दिए गए प्रस्ताव के अनुक्रम में मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 2(क) की अनुसूची में उल्लिखित, 45 गैर अधिसूचित किये गये कृषि उत्पाद के अतिरिक्त अन्य 46 कृषि उत्पादों यथा अन्न, द्वि-दलीय उत्पाद, तिलहन, रेशे, स्वापक, मसाले, उद्यान कर्म, फल एवं द्राक्षा कृषि उत्पाद आदि पर मा० संचालक मंडल द्वारा पारित निर्णय के क्रम में यूजर चार्ज/प्रयोक्ता प्रभार वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया है । कृपया तदनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें । इस सम्बन्ध में मंडी समितियों द्वारा प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं अभिलेखीकरण सम्बन्धी अन्य दिशा-निर्देश निदेशक, मंडी परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार निर्गत किये जायेंगे तथा शासन को सूचित किया जायेगा ।

MD/SD V-1

17/9/21

(दिलीप कुमार त्रिगुणायत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

3151
17/9/2021

1184
17/9/21

भवदीय,

Signed by डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
Date: 16.09.2021 18:58:28
Reason: Approved

(डा० देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

मण्डी अधिनियम 1964 की धारा–2(क) 4–क की सूची के अनुसार 45 फल–सब्जियों के गैर अधिसूचित होने के उपरान्त शेष निम्न जिन्सें जिन पर परिषद आदेश संख्या–विप0–1/446(2)/यूजर चार्जेज/2021–1407 दिनांक 17.09.2021 द्वारा निर्गत आदेश के कम में 1% (एक प्रतिशत) यूजर चार्ज लिया जाना है:–

अन्न		द्वि–दलीय उत्पाद		तिलहन		मसाले		रेशे	स्वापक
1.	मंडवा	1.	खेसारी	1.	बिनौला	1.	सोंठ	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	काकुन	2.	मोठ	2.	नारियल	2.	काली मिर्च		
3.	कोदों	3.	कुल्थी	3.	सभी प्रकार के खाद्य तेल				
4.	कुटकी	4.	राजमा						
5.	सावाँ								

1. उद्यान कर्म (शाक)				2. उद्यान कर्म (फल)			
1.	कचालू	9.	सोया	1.	स्ट्रावेरी	9.	खजूर
2.	शलजम	10.	चिचिंडा	2.	फूट	10.	खिरनी
3.	सेम	11.	ग्वार	3.	फालसा	11.	जामुन
4.	साग (सभी प्रकार के)	12.	इमली	4.	अनन्नास	12.	शरीफा
5.	पान	13.	बन्डा	5.	आलू बुखारा	13.	शहतूत
6.	चुकन्दर	14.	सिंघाड़ा	6.	अन्जीर	14.	रसभरी
7.	रतालू	15.	खुम्भी या कुकुरमुत्ता	7.	कमरख	15.	चेरी
8.	सलाद	16.	मशरूम	8.	करौंदा	16.	बेल

<u>कुल 46 जिन्सें</u>